

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 318/2012 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र

मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. राजू उर्फ राकेश पुत्र जगदीश शर्मा उम्र 36 वर्ष।
2. संजू पुत्र जगदीश शर्मा उम्र 34 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम चम्हेडी थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0. 855/2012 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 318/2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री के0सी0उपाध्याय अधिवक्ता

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 24-03-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 22.07.2012 को 09:30 बजे आशाराम सेठ का खेत मौजा चम्हेडी थाना मौ में आहता राजेश्वरी को इस आशय या ज्ञान या ऐसी परिस्थितियों में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते और इस दौरान आहतों की मारपीट कर उसे उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि आहता को जान से मारने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस ज्ञान से अथवा ऐसी परिस्थिति में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते और इस दौरान आहतों की मारपीट कर उसे उपहति कारित की।

02. यह अविवादित है कि आरोपी राजू फरियादिया का पति है और आरोपी संजू उसका देवर है। यह भी अविवादित है कि प्रकरण में फरार बतायी गयी आरोपिया ज्योति जो कि पत्नी संजू के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विविध आपराधिक प्र0कं0 1076/14 आदेश दिनांक 27-11-14 के अनुसार कार्यवाही समाप्त की गयी है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22.07.2012 को रामकरन पुत्र गंगाराम वारी जो कि ग्राम चम्हेडी का कोटवार है के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गई कि सुबह 09:30 बजे के करीब अपने घर पर था उसी समय धुविपाई हार मौजा चम्हेडी की तरफ से दो फायरों के चलने की आवाज आई, थोड़ी देर में चौपें चराकर आ रहे लडकों ने बताया कि गोहद रोड की तरफ से राजू बोहरे एवं उसकी पत्नी आ रहे थे उनमें झगडा हो गया था। वह घटना स्थल की तरफ गया तो आशाराम सेठ के खेत में राजू बोहरे की पत्नी राजेश्वरी घायल अवस्था में पड़ी दिखी। राजेश्वरी के सिर, हाथ, पीठ व मुँह में चोटें थी तथा वह बोल नहीं पा रही थी। उक्त आशय की सूचना रामकरन के द्वारा थाना पर दी गई जिस पर से देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण की विवेचना की गई, विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, घटना स्थल से जप्ती की कार्यवाही की गई। आहत राजेश्वरी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेज गया एवं आहत राजेश्वरी का कथन एवं मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किया गया। उसके कथनों में यह बात आई कि उसके पति राजू देवर संजू और देवरानी ज्योती के द्वारा पकडकर उसे गोली मारी गई। आरोपीगण राजू उर्फ राजेश एवं संजू की गिरफ्तारी की गई। आरोपी राजू उर्फ राजेश से एक 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस की जप्ती की गई। आरोपी ज्योती को फरार होना दर्शाते हुए आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 22.07.2012 को समय 09:30 बजे या उसके करीब आशाराम सेठ

का खेत मौजा चम्हेडी थाना मौ में आहता राजेश्वरी को इस आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते उसकी हत्या का प्रयत्न किया?

2. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहता राजेश्वरी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा आहता राजेश्वरी को जान से मारने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3:—

07. उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दु परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

08. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 5 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 22.07.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान आहता राजेश्वरी को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसका परीक्षण किया था जिसमें निम्न चोटें पाई गई—

1. आहता के दाएं कान के पीछे 1 x 0.5 x 0.3 से०मी० पेनीट्रेटिंग घाँव था।
2. बाएं कान के पीछे 2 x 0.6 x 0.3 सेन्टीमीटर का पेनीट्रेटिंग घाँव था।
3. बाएं कान के आगे 1.8 x 0.4 x 0.3 से.मी. पेनीट्रेटिंग घाँव था।
4. बाएं कान के ऊपर 1.6 x 0.8 x 0.6 से०मी० पेनीट्रेटिंग घाँव था।
5. बाएं कान के ऊपर 1.8 x 0.6 x 0.5 से०मी० पेनीट्रेटिंग घाँव था।
6. बाएं पेराइटल भाग में 1.2 x 0.5 x 0.3 से.मी. का पेनीट्रेटिंग घाँव था।
7. सिर के बीच में भाग में फटा हुआ घाँव 7 x 4 x 0.2 से.मी. आकार का था।
8. दाएं हाथ की छोटी उंगली में 1 x 0.2 x 0.3 से.मी. का कटा हुआ घाँव था।
9. बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे 1 x 0.4 x 0.2 से.मी. का कटा हुआ घाँव था।

आहता के सभी घाँवों से खून बह रहा था और आहता वेहोशी की हालत में थी जिसके हृदय की गति 78 प्रतिमिनट थी तथा रक्त चाप 110/70 था। उक्त साक्षी के द्वारा

अपने अभिमत में बताया गया है कि आहता को आई हुई चोटें नुकीले हथियार से आनी संभव है जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। आहता को आई चोटें उसके जीवन के लिए प्राणघातक थी। आहता को उपचार हेतु न्यूरोसर्जरी विभाग ग्वालियर रेफर किया गया था। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि आहता को आई हुई चोटें एक ही हथियार से आना संभव है और यह भी संभव बताया है कि आहता भूसे को खुरेदने वाले पंजे पर गिरे तो ऐसी चोटें आ सकती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने साफतौर से बताया है कि आहता के शरीर पर आई हुई चोटें अग्नेय शस्त्र के द्वारा पहुँचाई जानी प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन से घटना के पश्चात् आहता राजेश्वरी के शरीर पर उपरोक्त बताई गई चोटें पाई जानी स्पष्ट होती है और चोटें उनके अनुसार जीवन के लिए घातक थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आहता को उपरोक्त बताई गई प्राणघातक चोटें आरोपीगण के द्वारा ही कारित की गई?

10. घटना के संबंध में सूचनाकर्ता रामकरन अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि करीब दो साल पहले की घटना है, 09-10 बजे का समय था। घटना के समय वह अपने घर पर था उसके बच्चे ने उसे बताया कि झगडा हो रहा है तो वह घटना स्थल आशाराम सेठ के खेत मौजा चम्हेडी पर पहुँचा था। उसने वहाँ देखा कि आहता राजेश्वरी वेहोशी हालत में पड़ी थी। उसने पुलिस को सूचना दी थी, देहाती नालसी उसके द्वारा लिखाई गई थी जो कि प्र.पी. 1 है। पुलिस मौके पर आई थी और उसने मौका दिखाया था। घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 2 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल का पंचनामा भी बनाया गया जो प्र.पी. 3 है और घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी की जप्ती और वहाँ से चप्पल व चूड़ियों के टुकड़ों की जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी के द्वारा राजेश्वरी को चोट किस के द्वारा पहुँचाई गई थी इस बारे में अपने मुख्य परीक्षण में कोई बात नहीं बताई है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं।

11. इस प्रकार साक्षी रामकरन अ0सा01 जिसके द्वारा कि घटना की सूचना थाने में दी गई है के कथन से यद्यपि यह तथ्य आया है कि आहता राजेश्वरी को उसने चोटिल हालत में घटना स्थल पर देखा था और इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखबद्ध करनी उसके द्वारा बताई गई है, किन्तु साक्षी के द्वारा आरोपीगण या किसी आरोपी की घटना स्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा कोई कृत्य किया जाना अपने साक्ष्य कथन में नहीं बताया गया

है। साक्षी ने देहाती नालसी प्र.पी. 1 में आरोपी राजू बोहरे के द्वारा फायर किया जाना एवं राजेश्वरी को जान से मारने की नियत से गंभीर चोटें पहुँचाई गई है के संबंध में प्र.पी. 1 में ए से ए भाग की बात न बताना अभिकथित किया है और इसी प्रकार पुलिस को दिए गए कथन प्र.पी. 5 में भी उक्त बात उसके द्वारा नहीं बताई गई थी, ऐसा साक्षी के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों के दौरान तथा प्रतिपरीक्षण में आगे कथनों में बताई हैं।

12. घटना के संबंध में घटना की आहता राजेश्वरी के साक्ष्य कथन में भी कहीं आरोपीगण या किसी आरोपी के घटना स्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित किये जाने अथवा उसे चोटें पहुँचाई जाने का कोई भी तथ्य नहीं आया है। घटना की उक्त आहता को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, सूचक प्रश्नों के दौरान भी उसके कथनों में किसी भी बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण को समर्थन व पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। इस प्रकार घटना की पीड़िता/आहता राजेश्वरी के साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी की घटना स्थल पर मौजूदगी अथवा उनके घटना में संलग्न होने का कोई भी साक्ष्य नहीं आया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी प्रमोद अ0सा0 4 के कथनों में भी आरोपीगण के घटना में शामिल होने अथवा उनके द्वारा घटना कारित किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। प्र0आर0 निहालसिंह अ0सा0 6 जिनके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 12 देहाती नालसी के आधार पर कायम किया गया है तथा साक्षी रामजीलाल अ0सा0 8 जिन्होंने कि उक्त देहाती नालसी थाना मौ में लोकर दी थी और आहता के मरणासन्न कथन हेतु तहरीद दी थी। उक्त साक्षीगण के साक्ष्य कथन के आधार पर भी आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने का कोई साक्ष्य होनी नहीं मानी जा सकती।

13. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी राजबीर शर्मा अ0सा0 7 जो कि घटना के समय पुलिस चौकी झांकरी थाना मौ में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ थे देहाती नालसी प्र.पी. 1 लेखबद्ध करना और घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 2 तैयार करना, घटना स्थल का पंचनामा प्र.पी. 3 और घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, चप्पलें, पीतल के राउण्ड एवं माचिस लाल रंग की, पुडिया तथा आहता के सिर के खून से बिगड़े हुए बाल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार करना बताया है और साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा तो महिला उसे बेहोशी हालत में मिली थी उपस्थिति लोगों ने उसे ग्राम चम्हेडी का होना बताया था।

14. जहाँ तक घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं आहता के लिए गए मरणासन्न कथन का प्रश्न है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आहता की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वह जीवित है, ऐसी दशा में जबकि आहता जीवित है उसका कोई मरणाशन्न कथन उसके पूर्व लिए गए कथन के समान ही होगा जिसका कि केवल प्रतिखण्डन विरोधाभाष को प्रमाणित करने एवं प्रतिखण्डन के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है, उसके किसी मरणासन्न कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार देहाती नालसी प्र.पी. 1 जिसके आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 12 में आए उल्लेख मात्र के आधार पर जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है, मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम के उल्लेख होने के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी की घटना में संलग्न होने या उसके द्वारा घटना कारित किए जाने बावत् अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती।

15. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा 315 बोर का कट्टा आरोपी राजू उर्फ राजेश से जप्त किया जाना बताया जा रहा है, किन्तु जप्ती कार्यवाही अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं कराई गई है और इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी महेश शर्मा अ0सा0 3 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है और इस प्रकार की अनुमति प्राप्त होने पर ही आयुध अधिनियम के अंतर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है, किन्तु अभियोजन चलाए जाने हेतु कोई भी स्वीकृति अभियोगपत्र में होनी नहीं पाई जाती है और इस परिप्रेक्ष्य में आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप भी आरोपी राजू उर्फ राजेश के विरुद्ध विरचित किया गया है।

16. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यद्यपि आहता राजेश्वरी के शरीर पर घटना के पश्चात् चोटें मौजूद होना जो कि उसके शरीर पर प्राणघातक चोटें होना चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। किन्तु आहता के शरीर पर उपरोक्त बतायी गयी चोटों के संबंध में चिकित्सक के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उक्त चोटें आहत के शरीर पर आग्नेयशस्त्र के द्वारा पहुंचाई जाना प्रतीत नहीं होती थी। आहता को उपरोक्त बतायी गयी चोटें वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा पहुंचाई गयी हो ऐसा कहीं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता।

17. अतः अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना न पाते हुये

आरोपीगण को राजू उर्फ राजेश एवं संजू पुत्रगण जगदीश शर्मा को आरोपित अपराध 307 विकल्प में 307/34 भा०द०सं० के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।

18. प्रकरण में जप्त सुदा खून आलुदा मिट्टी, सादा मिट्टी, चप्पल, माचिस, टूटी चूड़ियां अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जायें । जप्त सुदा 315 बोर का कट्टा और एक पीतल का राउण्ड माउजर का जिसकी पेंदी पर 8 एम०एम० लिखा हुआ था और 315 बोर का कट्टा अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को निराकरण हेतु भेजा जावे । अपील होने की दशा में जप्त सुदा मुद्दे माल का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड